

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक..... ता0..... से तक
जिला - राँची।
केस का प्रकार - जमाबंदी संधारण वाद सं0- 12/2022-23 TR No-12/22-23

आदेश एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
8/4/22	<p>आवेदिका श्रीमति अनिता कुमारी, पिता- रामचन्द्र कुशवाहा, पता- 6A वन वृन्दावन कॉलोनी, बोडेया, थाना- काँके जिला- राँची के द्वारा मौजा- बोडेया, खाता सं0-492, प्लॉट सं0- 2049, रकबा- 05 डी0 भूमि का जमाबंदी खोलने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में आवेदिका को नोटिस निर्गत करें। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p align="center">अभिलेख दिनांक ...25/8/22... को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">अंचल अधिकारी काँके राँची</p>
25/8/22	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान के अनुसार मौजा- बोडेया, थाना सं0- 185, खाता सं0- 492, प्लॉट सं0- 2049, रकबा- 1.08 एकड़ भूमि कुशल नाथ तेली वगैरह कौम तेली के नाम से दर्ज है। जिसमें से 54 डी0 भूमि निबंधित पट्टा सं0- 9970, दिनांक- 20.12.1993 द्वारा (1) सुभाष देवी पति रघुनन्दन साहू (2) श्रीमति जमुना देवी पति श्री देव नारायण साहू (3) श्रीमति भालो देवी पति श्री शम्भु साहू (4) श्रीमति बसंती देवी पति श्री भानु साहू ने खरीदी किया। जिसके पश्चात् आपसी बटवारा में श्रीमति रामेश्वरी देवी के हिस्से में 13½ डी0 भूमि आया। जिसे श्रीमति रामेश्वरी देवी पति देवनारायण साहू ग्राम- अरसण्डे ने पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अभय सिंह को दिया था। श्री अभय सिंह के द्वारा उक्त जमीन को बिक्री की गई। चूंकि ऑनलाईन में 05 डी0 जमीन का जमाबंदी नहीं खुला हुआ है। रजिस्ट्री पट्टा सं0- 6586, दिनांक- 14.11.2014 के द्वारा अनिता देवी ने क्रय किया था। जिसपर उनका आई0डी0 सं0- CH1769, होल्डींग सं0- 0040002259000A6 है। प्रश्नगत भूमि पर अनिता देवी का घर बना हुआ है एवं वे सपरिवार वहाँ निवास करते हैं तथा इनका दखल कब्जा है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खाता सं0- 492, प्लॉट सं0- 2049, रकबा- 05 डी0 भूमि का जमाबंदी श्रीमति रामेश्वरी देवी पति देवनारायण साहू के नाम से कायम करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अनुशंसा की गई है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी कायम होने से खतियानी रकबा से अधिक नहीं होगा तथा दोहरी जमाबंदी नहीं होगा।</p> <p>अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा- बोडेया, खाता सं0-492, प्लॉट सं0- 2049, रकबा- 05 डी0 भूमि का जमाबंदी श्रीमति रामेश्वरी देवी पति देवनारायण साहू के नाम से जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p align="center">अभिलेख उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="center">अंचल अधिकारी काँके राँची</p> <p align="right">अंचल अधिकारी काँके राँची</p>

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।


विषय:— विविध वाद संख्या— 12/2022-23 में जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि खतियान के अनुसार मौजा— बोड़ेया, थाना सं०— 185, खाता सं०— 492, प्लॉट सं०— 2049, रकबा— 1.08 एकड़ भूमि कुशल नाथ तेली वगैरह कौम तेली के नाम से दर्ज है। जिसमें से 54 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं०— 9970, दिनांक— 20.12.1993 द्वारा (1) सुभाष देवी पति रघुनन्दन साहू (2) श्रीमति जमुना देवी पति श्री देव नारायण साहू (3) श्रीमति भालो देवी पति श्री शम्भु साहू (4) श्रीमति बसंती देवी पति श्री भानु साहू ने खरीदी किया। जिसके पश्चात् आपसी बटवारा में श्रीमति रामेश्वरी देवी के हिस्से में 13½ डी० भूमि आया। जिसे श्रीमति रामेश्वरी देवी पति देवनारायण साहू ग्राम— अरसण्डे ने पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अभय सिंह को दिया था। श्री अभय सिंह के द्वारा उक्त जमीन को बिक्री की गई। चूंकि ऑनलाईन में 05 डी० जमीन का जमाबंदी नहीं खुला हुआ है। रजिस्ट्री पट्टा सं०— 6586, दिनांक— 14.11.2014 के द्वारा अनिता देवी ने क्रय किया था। जिसपर उनका आई०डी० सं०— CH1769, होल्डींग सं०— 0040002259000A6 है। प्रश्नगत भूमि पर अनिता देवी का घर बना हुआ है एवं वे सपरिवार वहाँ निवास करते हैं तथा इनका दखल कब्जा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खाता सं०— 492, प्लॉट सं०— 2049, रकबा— 05 डी० भूमि का जमाबंदी श्रीमति रामेश्वरी देवी पति देवनारायण साहू के नाम से कायम करने हेतु अनुशंसा की जाती है। जमाबंदी कायम होने से खतियानी रकबा से अधिक नहीं होगा तथा दोहरी जमाबंदी नहीं होगा।

जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।


रा० उप निरीक्षक
हल्का सं०— 8


अंचल अधिकारी


अंचल निरीक्षक
काँके।